# अनुदान संख्या 93 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
# GRANT No. 93–MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | | | |
| *मूल* | *Original* | *1495,80,00* | | *1529,68,00* | *1529,58,26* | *–9,74* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *33,88,00* | | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *9,74* |
| स्वीकत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 157,65,00 | | 158,65,00 | 126,32,34 | –32,32,66 |
| पूरक | Supplementary | 100,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 31,81,20 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकत- | Voted - | | | 14,01,00 | 50 | –14,00,50 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 14,00,50 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक उप शीर्ष के अंतर्गत *107.00 लाख रु.* के अधिक व्यय की तुलना में तीन उप शीर्षों में *116.74 लाख रु.* की बचत हुई जिसके परिणामस्वरूप कुल *9.74 लाख रु.* की बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings of *Rs.116.74 lakhs* occurred in three sub-heads against excess of *Rs.107.00 lakhs* under one sub-head resulting in overall savings *Rs.9.74 lakhs.*

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| *मू.* | *O.* | *149580.00* | | | |
| *पू.* | *S.* | *3388.00* | *152958.26* | *152958.26* | . . |
| *पु.* | *R.* | *–9.74* | | | |

(I) *70.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.70.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. उपर्युक्त बचतें शीर्ष ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई'' - *107.00 लाख रु.* का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए *143.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* सहित *543.00 लाख रु.* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2. The above savings were offset by excess under "Grant for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes Education - Vocational Training in Tribal Areas" - excess of *Rs.107.00 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *Rs.543.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *Rs.143.00 lakhs* obtained in March, 2007) was due to additional requirement of funds by the State Governments.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, 3232.66 लाख रु. की कुल बचतें दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings of Rs.3232.66 lakhs exceeded the supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''2225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 10542.00 | | | |
| पू. | S. | 99.00 | 8009.02 | 7967.96 | –41.06 |
| पु. | R. | –2631.98 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 4450.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –4451.00 | | | |

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| पु. | R. | 3991.29 | 3991.29 | 3991.28 | –0.01 |

(I) 4596.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4351.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - 400.00 लाख रु. थे;

(खा) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - 3480.00 लाख रु. थे;

(गा) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम" -101.00 लाख रु. (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(घा) "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - 170.00 लाख रु. थे; और

(ङ) "लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान" - 200.00 लाख रु. थे।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुईं।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" -

(I) Provision of Rs.4596.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.4351.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Welfare of Scheduled Tribes - Education" - under the following heads:-

(A) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Schemes and Award for exemplary service" - Rs.400.00 lakhs;

(B) "Scheme of Post Matric Scholarships, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students"- Rs.3480.00 lakhs;

(C) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys"– Rs.101.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007);

(D) "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST students" - Rs.170.00 lakhs; and

(E) "Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for Minor Forest Produce" - Rs.200.00 lakhs.

Savings under the above five heads were due to re-appropriation of funds to concerned functional heads for utilisation in the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes" -

(का) निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय जनजाति आयोग'' - 114.55 लाख रु. की बचत (439.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)रिक्त पदों को न भरे जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''शिक्षा - अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास की स्कीम'' - 559.09 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावास की परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में शिक्षा परिसर'' - 2408.70 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित स्कीम को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 89.75 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का बारह प्रतिशत थी।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (639.52 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत मार्च, 2007 में सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 625.70 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान'' - 191.29 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(A) "Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes"- saving of Rs.114.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.439.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(B) "Education - Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" – saving of Rs.559.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non- approval of the project of hostel in Delhi University by the Standing Finance Committee.

(C) "Other Expenditure - Education Complex in low Literacy pockets for development of women literacy in tribal areas"- saving of Rs.2408.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to non implementation of the revised scheme.

(III) Under one head saving of Rs. 89.75 lakhs occurred, constituting 12 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above saving were partly (Rs.639.52 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant in March, 2007 under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Other Expenditure - Grants-in-aid to NGOs for STs including coaching and allied scheme and award for exemplary services". Actual excess, however, was Rs.625.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education – Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Cooperations for Minor Forest Produce" – excess of Rs.191.29 lakhs (against nil provision);

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education" –

(क) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - 3480.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Schemes of Post Matric Scholarships Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – excess of Rs.3480.00 lakhs (against nil provision).

(ख) ''अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास की स्कीम'' - 270.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys"- excess of Rs.270.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम पर व्यय करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to concerned functional heads for incurring of expenditure on North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

5. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | | | | |
| मू. | O. | 1351.00 | 0.50 | 0.50 | . . |
| पु. | R. | –1350.50 | | | |

(I) 1400.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1350.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1400.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these Rs.1350.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(का) ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - आर्थिक विकास - निवेश/ट्राइफेड को मूल्य सहायता'' - 200.00 लाख रु. ट्राइफेड की शेयर पूंजी में निवेश किए जाने के कारण थे जिसे इसके नए रोड मैप को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य लंबित रहने तक स्थगित रखा गया था।

(A) "Welfare of Scheduled Tribes –Economic Development – Investment/Price Support to TRIFED" - Rs.200.00 lakhs - due to investment in share capital of TRIFED having been kept in abeyance pending finalisation of its new Road Map.

(खा) ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता'' - 1150.00 लाख रु. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को निधियां जारी न किए जाने के कारण थे क्योंकि इसने किसी इक्विटी सहायता की मांग नहीं की थी।

(B) "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings – Support to National /State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" –Rs.1150.00 lakhs –due to non release of funds to National /State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation as it did not demand any Equity Support.